<u>प्रेस नोट</u>

भोपाल, दिनांक 1 मार्च, 2023

माननीय वित्त मंत्री, **श्री जगदीश देवडा** नें आज मध्यप्रदेश विधान सभा में वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया है, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैः-

- भारत की अर्थव्यवस्था को **5 ट्रिलियन डॉलर** की बनाने हेतु राज्य द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने हेतु कुल बजट का लगभग 20 प्रतिशत प्रावधान रखा गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत है।
- **"आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश"-**बजट 2023-24 को आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश को दृष्टिगत रखते हुए बजट में विभिन्न योजनाएं मिशन मोड में तैयार की गई है।
- **"जनता का बजट"-** बजट तैयार करने हेतु जनता के सुझाव प्राप्त कर बजट में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है।
- वर्ष 2023-24 का बजट MP Govt. Diary एप के माध्यम से देखा जा सकेगा। बजट www.finance.mp.gov.in वित्त विभाग के वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेगा।
- वर्ष 2023-24 का बजट प्रथम बार ई-बजट के रूप में प्रस्तुत।
  - कुल विनियोग की राशि ₹ 3,14,024.84 करोड़, जो विगत वर्ष की तुलना में 12% अधिक है। कुल शुद्ध व्यय ₹ 2,81,553.62 करोड़ का प्रावधान
  - राजस्व आधिक्य ₹ 412.76 करोड़
  - सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का 4.02% अनुमानित
  - अनुमानित राजस्व प्रातियां ₹ 2,25,709.90 करोड़ है, जिसमें राज्य के स्वयं के कर की राशि ₹86.499.98 करोड़, केन्द्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा ₹80,183.67 करोड़, करेत्तर राजस्व ₹14,913.10 करोड़ एवं केन्द्र से प्राप्त सहायता अनुदान ₹ 44,113.15 करोड़ शामिल
  - वर्ष 2023-24 में वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में राज्य स्वयं के कर राजस्व में 11% की वृद्धि अनुमानित
  - वर्ष 2023-24 में वर्ष 2022-22 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में राजस्व व्यय में 11% की वृद्धि अनुमानित
  - वर्ष 2023-24 में वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में पूंजीगत परिव्यय में लगभग 15% की वृद्धि अनुमानित
  - वर्ष 2023-24 में पूंजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4% अनुमानित
  - वर्ष 2023-24 में राजस्व आधिक्य राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 0.03%
  - वर्ष 2023-24 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 10%

बजट के मुख्य बिन्दु

- अनुसूचित जनजाति (सब-स्कीम) हेतु ₹ 36,950.16 करोड़
- अनुसूचित जाति (सब-स्कीम) हेतु ₹ 260,86.81 करोड़
- सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु ₹ 11406 करोड़
- प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु ₹ 8000 करोड़
- मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना हेतु ₹ 8000 करोड़
- जल जीवन मिशन नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन हेतु ₹ 7332 करोड़
- 15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता हेतु ₹ 6935 करोड़
- माध्यमिक शालायें हेतु ₹ 6728 करोड़
- अटल कृषि ज्योति योजना हेतु ₹ 5520 करोड़
- म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय

हेतु प्रतिपूर्ति में ₹ 4775 करोड़

- शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु ₹ 4641 करोड़
- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु ₹ 4176 करोड़
- समग्र शिक्षा अभियान हेतु ₹ 4039 करोड़
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम/एन आर एच एम) हेतु ₹ 3996 करोड़
- प्राथमिक शालाएं हेतु ₹ 3813 करोड़
- प्रवेश कर से नगरीय निकायो को हस्तान्तरण हेतु ₹ 3600 करोड़
- रीवैम्प्ड डिस्ट्रीव्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.) हेतु ₹ 3526 करोड़
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु ₹ 3500 करोड़
- अटल गृह ज्योति योजना हेतु ₹ 3500 करोड़
- सी. एम. राइज हेतु ₹ 3230 करोड़
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु ₹ 3230 करोड़
- हाउसिंग फॉर आल हेतु ₹ 2800 करोड़
- स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान हेतु ₹ 2748 करोड़
- कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय हेतु ₹ 2381 करोड़
- माध्यमिक शालाएं हेतु ₹ 2221 करोड़
- बांध तथा संलग्न कार्य हेतु ₹ 2221 करोड़
- आंगनवाड़ी सेवाऐं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) हेतु ₹ 2191 करोड़
- आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण-राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) हेतु ₹2141 करोड़
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु ₹ 2001 करोड़
- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु ₹ 1916 करोड़
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु ₹ 1826 करोड़
- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य हेतु ₹ 1814 करोड़
- चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय हेतु ₹ 1556 करोड़
- सहकारी बैंकों को अंशपूंजी हेतु ₹ 1500 करोड़
- जिला /सिविल अस्पताल एवं औषधालय हेतु ₹ 1486 करोड़
- कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृतों की स्थापना हेतु ₹ 1381 करोड़
- सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जीकरण हेतु ₹ 1356 करोड़
- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण हेतु ` 1317 करोड़
- स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन (प्राथमिक) हेतु ₹ 1301 करोड़
- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु ₹ 1272 करोड़
- निवेश प्रोत्साहन योजना हेतु ₹ 1250 करोड़
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु ₹ 1144 करोड़
- आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु ₹ 1131 करोड़
- ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु ₹ 1020 करोड़
- मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना हेतु ₹ 1000 करोड़
- सड़कों का सुदृढ़ीकरण हेतु ₹ 1000 करोड़
- मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना हेतु ₹ 1000 करोड़

विभागवार विस्तृत आंकडे निम्नानुसार हैः-

सामान्य प्रशासन विभाग	सचिवालय हेतु ₹260 करोड़ का प्रावधान
	मुख्य मंत्री वैवेविक अनुदान हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान
गृह विभाग	सामान्य व्यय (जिला स्थापना) हेतु ₹5256 करोड़ का प्रावधान
	सामान्य व्यय (विशेष पुलिस) हेतु ₹1755 करोड़ का प्रावधान
	आव्हान पर होने वाला व्यय हेतु ₹450 करोड़ का प्रावधान
	अपराध अनुसंधान विभाग हेतु ₹351 करोड़ का प्रावधान
	मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना हेतु ₹317 करोड़ का प्रावधान
	वेतार केन्द्र भोपाल/ग्वालियर हेतु ₹291 करोड़ का प्रावधान
	पुलिस प्रशिक्षण शालाएं हेतु ₹233 करोड़ का प्रावधान
	पर्यवेक्षक कर्मचारी वृन्द (रेल पुलिस-पश्चिम विभाग) हेतु ₹180 करोड़ का प्रावधान
	केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेन्टर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र हेतु ₹162 करोड़ का प्रावधान
	अनुसूचित जाति / जनजाति के थानो की स्थापना हेतु ₹147 करोड़ का प्रावधान
	अभियोजन संचालनालय हेतु ₹130 करोड़ का प्रावधान
	पुलिस मुख्यालय हेतु ₹123 करोड़ का प्रावधान
	विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण हेतु ₹117 करोड़ का प्रावधान
जेल विभाग	केन्द्रीय तथा जिला जेलें हेतु ₹517 करोड़ का प्रावधान
वाणिज्यिक कर विभाग	पालिका अधिनियम अंतर्गत पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से प्राप्त राशि का निधि में अंतरण हेतु ₹850 करोड़ का प्रावधान
	म.प्र.परिवहन अधोसंरचना विकास निधि हेतु ₹376 करोड़ का प्रावधान
	जिला स्थापना हेतु ₹257 करोड़ का प्रावधान
	जिला कार्यपालिक स्थापना हेतु ₹202 करोड़ का प्रावधान
	म.प्र. नगरीय. परिवहन अधोसंरचना विकास निधि हेतु ₹169 करोड़ का प्रावधान
राजस्व विभाग	आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण - राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) हेतु ₹2141 करोड़ का प्रावधान
	जिला खर्च हेतु ₹1174 करोड़ का प्रावधान
	आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु हेतु ₹1131 करोड़ का प्रावधान
	आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण - राज्य आपदा शमन निधि (एस.डी.एम.एफ.) हेतु ₹1131 करोड़ का प्रावधान
	राजस्व पुस्तक 6-4 के अंतर्गत आपदा में आर्थिक सहायता हेतु ₹700 करोड़ का प्रावधान
	बाढ़ तथा अतिवृष्टि पीड़ितों को राहत हेतु ₹600 करोड़ का प्रावधान
	उप संभागीय स्थापना हेतु ₹467 करोड़ का प्रावधान
	जिला स्थापना हेतु ₹352 करोड़ का प्रावधान
	तहसील जिला एवं संभाग के भवन निर्माण हेतु ₹268 करोड़ का प्रावधान
	१५वे वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण हेतु ₹268 करोड़ का प्रावधान
	भू-प्रबंधन हेतु ₹195 करोड़ का प्रावधान
	आदेशिका वाहक स्थापना हेतु ₹139 करोड़ का प्रावधान
	सर्पदंश पर आर्थिक सहायता हेतु ₹110 करोड़ का प्रावधान
खेल एवं युवक कल्याण विभाग	खेलों इंडिया एम.पी. हेतु ₹349 करोड़ का प्रावधान
	स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण हेतु ₹149 करोड़ का प्रावधान
	खेल अकादमियों की स्थापना हेतु ₹130 करोड़ का प्रावधान
वन विभाग	कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृतों की स्थापना हेतु ₹1381 करोड़ का प्रावधान

	केम्पा निवल वर्तमान मूल्य हेतु ₹690 करोड़ का प्रावधान
	प्रतिकारात्मक वन रोपड़ निधि पर ब्याज भुगतान हेतु ₹550 करोड़ का प्रावधान
	कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन - संरक्षण समूह हेतु ₹509 करोड़ का प्रावधान
	राष्ट्रीय उद्यान स्थापना हेतु ₹163 करोड़ का प्रावधान
	संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश का प्रदाय हेतु ₹160 करोड़ का प्रावधान
	इमारती लकड़ी का उत्पादन हेतु ₹130 करोड़ का प्रावधान
	केम्पा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु ₹118 करोड़ का प्रावधान
	वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास हेतु ₹109 करोड़ का प्रावधान
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	निवेश प्रोत्साहन योजना हेतु ₹1250 करोड़ का प्रावधान
	औद्योगिकीकरण अधोसंरचना विकास हेतु ₹490 करोड़ का प्रावधान
	भू-अर्जन, सर्वे एवं डिमार्र्केशन, सर्विस चार्ज हेतु ₹120 करोड़ का प्रावधान
ऊर्जा विभाग	15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता हेतु ₹6935 करोड़ का प्रावधान
	रीवैम्प्ड डिस्ट्रीव्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.) हेतु ₹3526 करोड़ का प्रावधान
	अटल गृह ज्योति योजना हेतु ₹3500 करोड़ का प्रावधान
	म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति हेतु ₹2300 करोड़ का प्रावधान
	म.प्र. उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण हेतु ₹600 करोड़ का प्रावधान
	उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण हेतु ₹565 करोड़ का प्रावधान
	टैरिफ अनुदान हेतु ₹436 करोड़ का प्रावधान
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	अटल कृषि ज्योति योजना हेतु ₹5510 करोड़ का प्रावधान
	मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु ₹3200 करोड़ का प्रावधान
	म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति हेतु ₹2475 करोड़ का प्रावधान
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु ₹2001 करोड़ का प्रावधान
	मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना हेतु ₹1000 करोड़ का प्रावधान
	अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला) हेतु ₹599 करोड़ का प्रावधान
	फूड एण्ड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी हेतु ₹407 करोड़ का प्रावधान
	ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना हेतु ₹350 करोड़ का प्रावधान
	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु ₹270 करोड़ का प्रावधान
	सब मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा) हेतु ₹152 करोड़ का प्रावधान
	ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान (एस.एम.ए.एम.) हेतु ₹129 करोड़ का प्रावधान
सहकारिता विभाग	सहकारी बैंकों को अंशपूंजी हेतु ₹1500 करोड़ का प्रावधान
	सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु ₹600 करोड़ का प्रावधान
श्रम विभाग	मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना हेतु ₹600 करोड़ का प्रावधान
	कर्मचारी राज्य बीमा योजना हेतु ₹256 करोड़ का प्रावधान
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम/एन आर एच एम) हेतु ₹3996 करोड़ का प्रावधान
	जिला /सिविल अस्पताल एवं औषधालय हेतु ₹1486 करोड़ का प्रावधान

	स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन (प्राथमिक) हेतु ₹1301 करोड़ का प्रावधान
	15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अनुदान हेतु ₹969 करोड़ का प्रावधान
	प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) हेतु ₹833 करोड़ का प्रावधान
	उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु ₹568 करोड़ का प्रावधान
	मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता हेतु ₹400 करोड़ का प्रावधान
	प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रकचर मिशन हेतु ₹350 करोड़ का प्रावधान
	बहुउद्देशीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु ₹324 करोड़ का प्रावधान
	शीत ज्वर हेतु ₹227 करोड़ का प्रावधान
	सामुदायिक स्वास्थ्य/ उप स्वास्थ्य/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो का भवन निर्माण हेतु ₹226 करोड़ का प्रावधान
	विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण हेतु ₹163 करोड़ का प्रावधान
	अस्पताल और औषधालयो के भवन निर्माण हेतु ₹151 करोड़ का प्रावधान
	आयुष्मान भारत (नान एस.ई.सी.सी. हितग्राही) हेतु ₹120 करोड़ का प्रावधान
	आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन हेतु ₹105 करोड़ का प्रावधान
नगरीय विकास एवं आवास विभाग	प्रवेश कर से नगरीय निकायो को हस्तान्तरण हेतु ₹3600 करोड़ का प्रावधान
	हाउसिंग फॉर आल हेतु ₹2800 करोड़ का प्रावधान
	15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु ₹1093 करोड़ का प्रावधान
	स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा) हेतु ₹842 करोड़ का प्रावधान
	पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से नगरीय निकायों द्वारा अथवा उनकी ओर से लिये गये ऋणो/ब्याज का प्रतिसंदाय हेतु ₹778 करोड़ का प्रावधान
	मेट्रो रेल हेतु ₹710 करोड़ का प्रावधान
	वैट कर प्रणाली लागू होने से इसकी क्षतिपूर्ति राशि का नगरीय निकायों को हस्तान्तरण हेतु ₹600 करोड़ का प्रावधान
	मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना-चतुर्थ चरण हेतु ₹500 करोड़ का प्रावधान
	१५वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार मिलियन शेहरों को अनुदान हेतु ₹495 करोड़ का प्रावधान
	नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत वाहनों पर कर से नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिये अनुदान हेतु ₹408 करोड़ का प्रावधान
	पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार का नगरीय निकायों को हस्तान्तरण हेतु ₹389 करोड़ का प्रावधान
	अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफॉरमेंशन (अमृत 2.0) हेतु ₹371 करोड़ का प्रावधान
	ग्वालियर स्मार्ट सिटी हेतु ₹297 करोड़ का प्रावधान
	सतना स्मार्ट सिटी हेतु ₹297 करोड़ का प्रावधान
	नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्माण हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान
	सागर स्मार्ट सिटी हेतु ₹198 करोड़ का प्रावधान
	शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 हेतु ₹171 करोड़ का प्रावधान
	नगरीय निकायों को समेकित अनुदान हेतु ₹151 करोड़ का प्रावधान
	एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.) हेतु ₹108 करोड़ का प्रावधान
	एम.पी. अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (विश्व बैक) हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान
लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु ₹1020 करोड़ का प्रावधान
	सड़कों का सुदृढ़ीकरण हेतु ₹1000 करोड़ का प्रावधान
	केन्द्रीय सड़क निधि हेतु ₹800 करोड़ का प्रावधान

	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नवीन ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु ₹750 करोड़ का प्रावधान
	अनुरक्षण और मरम्मत - साधारण मरम्मत हेतु ₹739 करोड़ का प्रावधान
	एन्यूटी हेतु ₹707 करोड़ का प्रावधान
	मुख्य जिला मार्गो तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण हेतु ₹700 करोड़ का प्रावधान
	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत एन.डी.बी. से वित्त पोषण (पुल निर्माण) हेतु ₹500 करोड़ का प्रावधान
	मुख्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु ₹500 करोड़ का प्रावधान
	एन.डी.बी. से वित्त पोषण (सड़क निर्माण) हेतु ₹500 करोड़ का प्रावधान
	वृहद पुलों का निर्माण हेतु ₹485 करोड़ का प्रावधान
	मध्यप्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.) हेतु ₹421 करोड़ का प्रावधान
	संभागीय कार्यालय स्थापना हेतु ₹319 करोड़ का प्रावधान
	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत एफ टाईप से उच्च श्रेणी के शासकीय आवास एवं गैर आवासीय भवनों का अनुरक्षण हेतु ₹120 करोड़ का प्रावधान
	म.प्र. सड़क विकास निगम (एन.डी.बी.) हेतु ₹101 करोड़ का प्रावधान
स्कूल शिक्षा विभाग	सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु ₹11406 करोड़ का प्रावधान
	माध्यमिक शालायें हेतु ₹6728 करोड़ का प्रावधान
	समग्र शिक्षा अभियान हेतु ₹4039 करोड़ का प्रावधान
	शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु ₹3552 करोड़ का प्रावधान
	सी. एम. राइज हेतु ₹2565 करोड़ का प्रावधान
	विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण हेतु ₹457 करोड़ का प्रावधान
	आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति हेतु ₹400 करोड़ का प्रावधान
	पंचायती राज संस्थाओ के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन/मानदेय हेतु ₹310 करोड़ का प्रावधान
	पी.एम.श्री हेतु ₹277 करोड़ का प्रावधान
	शासकीय स्कूल / छात्रावास / पुस्तकालय / आवासीय खेलकूद भवनों का निर्माण एवं विस्तार हेतु ₹252 करोड़ का प्रावधान
	अशासकीय शालाओं को अनुदान हेतु ₹175 करोड़ का प्रावधान
	स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण हेतु ₹158 करोड़ का प्रावधान
	विकास खण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना -मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए हेतु ₹107 करोड़ का प्रावधान
	नि:शुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय हेतु ₹106 करोड़ का प्रावधान
	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना हेतु ₹104 करोड़ का प्रावधान
	हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान
विधि एवं विधायी कार्य विभाग	सामान्य स्थापना हेतु ₹ 1400 करोड़ का प्रावधान
	उच्च न्यायालय (भारित) हेतु ₹240 करोड़ का प्रावधान
	राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रभार हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान
	न्यायालय भवनों का निर्माण हेतु ₹150 करोड़ का प्रावधान
	पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत फास्टट्रेक कोर्ट की स्थापना हेतु ₹120 करोड़ का प्रावधान
	विशेष न्यायालयो की स्थापना हेतु ₹120 करोड़ का प्रावधान
पंचायत विभाग	15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु ₹3083 करोड़ का

	प्रावधान
	स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा) हेतु ₹1906 करोड़ का प्रावधान
	ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण हेतु ₹881 करोड़ का प्रावधान
	अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरूद्ध अनुदान हेतु ₹323 करोड़ का प्रावधान
	पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार हेतु ₹240 करोड़ का प्रावधान
	सचिवीय व्यवस्था हेतु ₹176 करोड़ का प्रावधान
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	म.प्र. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना हेतु ₹578 करोड़ का प्रावधान
	विधायक स्वेच्छा अनुदान निधि से आर्थिक सहायता हेतु ₹116 करोड़ का प्रावधान
जन संपर्क विभाग	प्रिन्ट मीडिया हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान
	जन संपर्क विभाग के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रचार हेतु ₹146 करोड़ का प्रावधान
	विशेष अवसरों पर प्रचार हेतु ₹121 करोड़ का प्रावधान
	निदेशन और प्रशासन हेतु ₹119 करोड़ का प्रावधान
जनजातीय कार्य विभाग	प्राथमिक शालाएं हेतु ₹3813 करोड़ का प्रावधान
	माध्यमिक शालाएं हेतु ₹2221 करोड़ का प्रावधान
	शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु ₹1089 करोड़ का प्रावधान
	सी. एम. राइज हेतु ₹665 करोड़ का प्रावधान
	11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु ₹500 करोड़ का प्रावधान
	म.प्र. स्पेशल एण्ड रेसिडेंसियल एकेडेमिक सोसायटी हेतु ₹436 करोड़ का प्रावधान
	सीनियर छात्रावास हेतु ₹396 करोड़ का प्रावधान
	पीव्हीटीजी आहार अनुदान योजना हेतु ₹300 करोड़ का प्रावधान
	आई.टी.डी.पी. / माडा पॉकेट / क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु ₹259 करोड़ का प्रावधान
	आश्रम हेतु ₹211 करोड़ का प्रावधान
	एकीकृत छात्रावास योजना हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान
	अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान
	विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण हेतु ₹156 करोड़ का प्रावधान
	अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद २७५(१) हेतु ₹150 करोड़ का प्रावधान
	जूनियर छात्रावास हेतु ₹127 करोड़ का प्रावधान
	छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु ₹125 करोड़ का प्रावधान
	जिला प्रशासन हेतु ₹114 करोड़ का प्रावधान
	विशेष पिछड़ी जनजातियो का विकास हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु ₹1916 करोड़ का प्रावधान
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु ₹1144 करोड़ का प्रावधान
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन हेतु ₹392 करोड़ का प्रावधान
नर्मदा घाटी विकास विभाग	सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जीकरण हेतु ₹500 करोड़ का प्रावधान
	काली सिंध लिंक परियोजना हेतु ₹350 करोड़ का प्रावधान
	नर्मदा (आई.एस.पी.) पार्वती लिंक परियोजना फेस 1 एवं 2 हेतु ₹330 करोड़ का प्रावधान
	नर्मदा-झाबुआ-पेटलावाद-थांदला-सरदारपुर उद्वहन योजना हेतु ₹300 करोड़ का प्रावधान
	बरगी नहर व्यपवर्तन योजना हेतु ₹255 करोड़ का प्रावधान
	एन.वी.डी.ए. के सभी बिजली बिल हेतु ₹208 करोड़ का प्रावधान
	भू अर्जन हेतु मुआवजा हेतु ₹150 करोड़ का प्रावधान
	सरदार सरोवर के डुबान से प्रभावित क्षेत्र का भू अर्जन तथा अन्य कार्यो पर खर्च हेतु ₹145 करोड़ का

	प्रावधान
	भीकनगांव-बिन्जलवाड़ा उद्वहन सिंचाई योजना हेतु ₹135 करोड़ का प्रावधान
	चिंकी बौराज बराज संयुक्त बहुउद्देशीय माईक्रों सिंचाई परियोजना हेतु ₹130 करोड़ का प्रावधान
	निष्पादन स्थापना (यूनिट- एक एवं यूनिट-दो) हेतु ₹117 करोड़ का प्रावधान
	मोरान्ड गंजाल परियोजना हेतु ₹104 करोड़ का प्रावधान
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु ₹550 करोड़ का प्रावधान
	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये अन्नपूर्णा योजना हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान
संस्कृति विभाग	वेदान्त पीठ की स्थापना हेतु ₹350 करोड़ का प्रावधान
जल संसाधन विभाग	बांध तथा संलग्र कार्य हेतु ₹2221 करोड़ का प्रावधान
	नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य हेतु ₹1795 करोड़ का प्रावधान
	कार्यपालिक स्थापना हेतु ₹1201 करोड़ का प्रावधान
	सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जीकरण हेतु ₹500 करोड़ का प्रावधान
	लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाएं हेतु ₹368 करोड़ का प्रावधान
	लघु सिंचाई योजना हेतु ₹111 करोड़ का प्रावधान
पर्यटन विभाग	पर्यटन अधोसंरचना का विकास हेतु ₹122 करोड़ का प्रावधान
लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग	जल जीवन मिशन (जे जे एम) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन हेतु ₹7332 करोड़ का प्रावधान
	पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन हेतु ₹703 करोड़ का प्रावधान
	प्रशासन हेतु ₹516 करोड़ का प्रावधान
	ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना हेतु ₹400 करोड़ का प्रावधान
	सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जीकरण हेतु ₹356 करोड़ का प्रावधान
	प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण हेतु ₹207 करोड़ का प्रावधान
	समस्यामूलक ग्रामों में पेय जल प्रदाय योजना हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान
	नलकूपों (हैण्ड पंपों) का अनुरक्षण हेतु ₹133 करोड़ का प्रावधान
पशुपालन एवं डेयरी विभाग	गहन पशु विकास परियोजना हेतु ₹845 करोड़ का प्रावधान
	मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना हेतु ₹150 करोड़ का प्रावधान
उच्च शिक्षा विभाग	कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय हेतु ₹2381 करोड़ का प्रावधान
	म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार हेतु ₹385 करोड़ का प्रावधान
	शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि हेतु ₹205 करोड़ का प्रावधान
	अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों को पोषण अनुदान हेतु ₹196 करोड़ का प्रावधान
	अतिथि विद्वानों को मानदेय हेतु ₹130 करोड़ का प्रावधान
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग	मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना हेतु ₹1000 करोड़ का प्रावधान
	व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु ₹595 करोड़ का प्रावधान
	ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास) हेतु ₹469 करोड़ का प्रावधान
	पोलीटेक्निक संस्थाएं हेतु ₹250 करोड़ का प्रावधान
	मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना हेतु ₹155 करोड़ का प्रावधान
	स्वशासी तकनीकी संस्थाओं को सहायता हेतु ₹130 करोड़ का प्रावधान
भोपाल गैस त्रासदी, राहत तथा पुनर्वास विभाग	स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत हेतु ₹137 करोड़ का प्रावधान
महिला एवं बाल विकास विभाग	मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना हेतु ₹8000 करोड़ का प्रावधान

	आंगनवाड़ी सेवाऐं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) हेतु ₹2191 करोड़ का प्रावधान
	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु ₹1272 करोड़ का प्रावधान
	लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु ₹929 करोड़ का प्रावधान
	आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय हेतु ₹870 करोड़ का प्रावधान
	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी एम एम व्ही वाई) (मिशन शक्ति सामर्थ्य) हेतु ₹467 करोड़ का प्रावधान
	पोषण अभियान (एनएनएम) (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान
	महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय हेतु ₹170 करोड़ का प्रावधान
	समेकित बाल संरक्षण योजना (आई सी पी एस)(मिशन वात्सल्य) हेतु ₹159 करोड़ का प्रावधान
	आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण हेतु ₹110 करोड़ का प्रावधान
	कार्यक्रम, आयोजन एवं प्रबंधन हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान
चिकित्सा शिक्षा विभाग	चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय हेतु ₹1556 करोड़ का प्रावधान
	रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय हेतु ₹418 करोड़ का प्रावधान
	नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण (राज्य सहायित) हेतु ₹201 करोड़ का प्रावधान
	नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान
	चिकित्सा महाविद्यालय में पी.जी. पाठ्यक्रम का सुदृढ़ीकरण हेतु ₹145 करोड़ का प्रावधान
	एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि हेतु ₹115 करोड़ का प्रावधान
	छिंदवाड़ा इस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान
पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्खयक कल्याण विभाग	11वीं, 12वीं एवं महिवद्यालय छात्रवृत्ति (2.50 लाख से अधिक आय वर्ग हेतु) हेतु ₹650 करोड़ का प्रावधान
	छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु ₹288 करोड़ का प्रावधान
	11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान
	अल्प संख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम हेतु ₹140 करोड़ का प्रावधान
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्याल व अन्य) हेतु ₹625 करोड़ का प्रावधान
	अनुसूचित जाति छात्रावास हेतु ₹282 करोड़ का प्रावधान
	अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण (आकस्मिकता योजना) नियम 2015 के अंतर्गत राहत हेतु ₹158 करोड़ का प्रावधान
	एकीकृत छात्रावास योजना हेतु ₹150 करोड़ का प्रावधान
	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना हेतु ₹129 करोड़ का प्रावधान
	विविध छात्रवृत्तियां हेतु ₹105 करोड़ का प्रावधान
	अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता हेतु ₹104 करोड़ का प्रावधान
ग्रामीण विकास विभाग	प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु ₹8000 करोड़ का प्रावधान
	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु ₹3500 करोड़ का प्रावधान
	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु ₹1826 करोड़ का प्रावधान
	प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन हेतु ₹801 करोड़ का प्रावधान
	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु ₹600 करोड़ का प्रावधान
	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण हेतु ₹600 करोड़ का प्रावधान
	मुख्य मंत्री आवास मिशन हेतु ₹390 करोड़ का प्रावधान
	निर्मल भारत अभियान हेतु ₹300 करोड़ का प्रावधान
	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हेतु ₹266 करोड़ का प्रावधान
	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत रसोइयों को मानदेय भुगतान की राज्य योजना हेतु ₹210 करोड़ का प्रावधान

	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास) हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान
	विकास खण्ड कार्यालय हेतु ₹199 करोड़ का प्रावधान
उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग	संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालय हेतु ₹132 करोड़ का प्रावधान
	पौध शाला उद्यान हेतु ₹113 करोड़ का प्रावधान
आयुष विभाग	आयुष चिकित्सालय एवं औषधालय हेतु ₹342 करोड़ का प्रावधान
	आयुष महाविद्यालय हेतु ₹106 करोड़ का प्रावधान
	राष्ट्रीय आयुष मिशन हेतु ₹102 करोड़ का प्रावधान
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन/सुविधा प्रदाय योजना हेतु ₹490 करोड़ का प्रावधान
	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का अधोसंरचना विकास हेतु ₹129 करोड़ का प्रावधान
	मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान